

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ0ग0)

विज्ञापन क्र0 2517 / चयन समिति / 2023 बिलासपुर दिनांक 14 जुलाई, 2023

कोर्ट मैनेजर अमला, सहायक ग्रेड-3 (संविदा) के रिक्त 01 पद हेतु कौशल परीक्षा दिनांक 28.04.2024 दिन रविवार समय प्रातः 10:00 बजे से 11:00 तक

कौशल परीक्षा स्थान कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर के सभागार (Confrence Room)

कोर्ट मैनेजर अमला, सहायक ग्रेड-3 (संविदा) के रिक्त 01 पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से दावा आपत्ति पश्चात 1:10 के आधार पर कौशल परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों की अनुक्रमांक सहित संशोधित सूची (दिनांक 16.04.2024):-

स0 क्र0	आवेदन पत्र क्र0	परीक्षार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	संवर्ग	पत्र व्यवहार का पता	महिला / पुरुष	प्रतिशत	अनुक्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	90	आशुतोष कुमार लहरे	श्री नरेश कुमार लहरे	SC	म.क्र. 105 बी. एन सिटी कालोनी मंगला लोखंडी रेलवे क्रासिंग के पास बिलासपुर छ.ग.	पुरुष	86.16	601
2	86	विकास कुमार राजपूत	श्री बलराम सिंह राजपूत	UR	ग्रा. बिठल्दह पो. तह. लोरमी जिला मुंगेली छ.ग. 495115	पुरुष	81.83	602
3	8	श्रीमती श्रिया कश्यप	श्री नवीन कश्यप	OBC	बजरंग चौक मंगला ओम मोबाइल दुकान के पास बिलासपुर छ.ग.	महिला	80.8	603
4	201	ऋजु साहू	श्री शत्रुघन साहू	OBC	सरकंडा जबड़ापारा साई मंदिर के पास तेलगु मोहल्ला बिलासपुर छ.ग. 495001	महिला	80.3	604
5	30	ऋचा साहू	श्री नंदकुमार साहू	OBC	ग्रा. व पो. बिरकोना अमहापारा नीयर एस बी आई बैंक कोनी एस ओ तह0 व जि0 बिलासपुर 495009	महिला	79.72	605
6	13	सालिक राम	श्री खिख राम	OBC	ग्रा0 मेंड थाना पामगढ़ जि0 जांजगीर चांपा छ.ग. 495554	पुरुष	79.43	606
7	15	भारती साहू	श्री झम्मन साहू	OBC	अरविंद नगर जांजी तालाब के पास बंधवा पारा सरकण्डा बिलासपुर छ.ग.	महिला	79.16	607
8	35	प्रवीण बाबूल बेनर्जी	श्री परमेश्वर बेनर्जी	SC	जांजगीर विद्यानगर वार्ड 19 जि0 जांजगीर चांपा छ.ग.	पुरुष	78.47	608
9	147	आशीष पाण्डेय	श्री शिव कुमार पाण्डेय	UR	मकान नं0 62 ब्राम्हण पारा बजरंग चौक कसडोल जि0 बलौदा बाजार छ.ग. 493335	पुरुष	78.44	609
10	179	संजय कुमार	श्री होरीलाल	OBC	ग्रा. सापसीताल पो. अखरार तह. लोरमी जिला मुंगेली छ.ग. 495115	पुरुष	77.66	610

टिप :- कौशल परीक्षा हेतु संशोधित पात्र सूची में अभ्यर्थी का नाम होने का यह अभिप्राय नहीं है कि अभ्यर्थी को चयन हेतु अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप चयन हेतु योग्य नहीं है तो उसे अपात्र किया जा सकेगा।

सही / -
राजभान सिंह
अध्यक्ष
(चयन समिति)
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर (छ.ग.)